

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

2

अदालत

जिला कलक्टर, झुंझुनू

मुकाम झुंझुनू

शर्मा पुत्र श्री हनुमान प्रसाद, जाति ब्राह्मण, निवासी काकोडा जरिये मुख्यार खास बनाम उपखण्ड कारी, सूरजगढ।

म प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण मुकदमा

नम्बर 2 सन् 2021

रीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
01.2021	प्रार्थना पत्र बाद निर्देश पेश हुआ। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर रिकार्ड मातहत अदालत तलब हो। उपखण्ड अधिकारी, विजवा से प्रकरण मे रिपोर्ट ली जावे। अप्रार्थी को वास्ते सुनवाई जरिये नोटिस तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 03.02.2021 को पेश हो।	21 2-1-2021
3-2-21	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी व G.A. उपस्थित। बहस सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी ने कथन किया कि वे इस प्रांफ पर अब कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं। वकील प्रार्थी के उक्त कथन से यह प्रांफ तारहीन हो चुका है। तारहीन होने से उक्त प्रांफ खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति अदालत मातहत से प्रेषित हो। पत्रावली फ़ैसल युक्त होकर नम्बर से इस हेतु बाद तत्काल आप्त दाखिल यफत है।</p> <p style="text-align: center;">(सुंझुनू (जज)) जिला कलक्टर सुंझुनू</p>	

